13

सीयद्भी चं. श्री. (श्री.एम.)-127

MGBTERED NO. D. (B.N.) 127



BXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 246]

नई विल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 1988/वैशाख 22, 1910 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 1988/VAISAKHA 22, 1910

इस भाग में भिन्न युष्ठ रहिया दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1988

का.आ. 477 (अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि महिलाओं का अभद्र चिलण (निषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का 60) की धारा 5(1) के अधीन प्रत्येक संघ राज्य के प्रशासक (चाहे वह

प्रशासक मुख्य आयुक्त अथवा उपराज्यपाल के रूप में जाना जाता हो) के द्वारा अपने अपने संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत उनके नियंत्रणाधीन तथा अगले आदेश तक राज्य सरकार की शिक्तयों तथा कार्यों का भी निष्पादन किया जाएगा।

[सं यू-11030/2/87-यू.टी.एल.] अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1988

S. O. 477 (E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and further orders, the powers and functions of the State Government under section 5(1) of the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 (60 of 1986) shall also be exercised and discharged by the Administrator of every Union Territory (whether known as the Administrator, Chief Commissioner or the Lieutenant Governor) within the respective Union Territories.

[No. U. 11030|2|87-UTL]
ASHOK NATH, Jt. Secy.